रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 534] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 1972/ पौष 8, 1894
No. 534] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 1972/PAUSA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December 1972

S.O. 774(E).—Whereas for the fulfilment of arrangements with the Commonweath of Australia, which affords to applicants for patents in India or to citizens of India similar privileges as are granted to its own citizens in respect of the grant of patents and the protection of patent rights, it is necessary so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 133 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby declares the Commonwealth of Australia to be a convention country for all the provisions of the Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th April, 1972.

Explanatory Memorandum

The Patents Act, 1970 was brought into force on the 20th April, 1972. Under Section 133(1) of that Act, the Central Government is empowered to declare a country as a convention country with a view to the fulfilment of a treaty, convention or arrangement with that country. By notification No. S.O. 302(E), dated the 20th April, 1972, United Kingdom, New Zealand, Eire, Ceylon and Canada were declared as convention countries under section 133(1) of the Patents Act, 1970 from the date of commencement of that Act so as to continue the existing arrangements with these countries without any break. A number of applications for patents originating from Australia and claiming priority on the basis of the corresponding applications made in Australia in pursuance of sub-section (4) of section 78A of the Indian Patents and Designs Act, 1911, are pending since the Patents Act, 1970 came into force. Australia, having already declared India as a convention country, it is appropriate that we do likewise. In consequence, the priority claimed for such applications will become allowable and the interests of the persons, who have made these applications, will not be adversely affected.

It is certified that the issue of the notification declaring Commonwealth of Australia as a convention country with effect from the 20th April, 1972 will not adversely affect the interests of any other party.

[No. F. 21(1)-SP&D/72.]
R. K. TALWAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1072

का० आ० 774(अ)—यतः आस्ट्रेलिया कामन्वैल्थ के साथ व्यवस्था, जो भारत में पेटेन्टों के लिए आवेदकों या पेटेन्ट अनुदत्त किये जाने और पेटेन्ट अधिकारों के संरक्षण की बाबत अपने नागरिकों को जैसे विशेषाधिकार भारत के नागरिकों को प्रदत्त करती है, को पूरा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः अब पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 30) की धारा 133 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आस्ट्रेलिया-कामन्वैल्थ को अधिनियम के सभी उपबन्धों के लिए अभिसमय-देश के रूप में घोषित करती है ।

2. यह अधिसूचना 20 अप्रैल, 1972 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

पेटन्ट अधिनियम, 1970, 20 अप्रैल, 1972 को प्रवृत्त हुआ था । अधिनियम की धारा 133(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार किसी देश को उस देश के साथ कोई संधि, अभिसमय या व्यवस्था को पूरा करने की दृष्टि से, अभिसमय-देश घोषित करने में सक्षम है । अधिसूचना सं० का०आ० 302(ड०), तारीख 20 अप्रैल, 1972 द्वारा यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, आयर, सीलोन और कनाडा, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 133(1) के अधीन, उस अधिनियम के आरम्भ की तारीख से अभिसमय-देश घोषित किये गए थे जिससे कि बिना किसी व्यवधान के इन देशों से विद्यमान व्यवस्थाएं बनी रहें । आस्ट्रेलिया से उद्भूत होने वाली और आस्ट्रेलिया में दिए गए तत्समान आवेदनों के आधार पर अग्रता का दावा करने वाले कितने ही आवेदन भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911 की धारा 78क की उपधारा (4) के अनुसरण में, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के प्रवृत्त होने के समय से ही विचाराधीन है । आस्ट्रेलिया ने भारत को अभिसमय देश के रूप में घोषित कर दिया है भारत को भी ऐसा ही करना उचित है फलतः ऐसे आवेदनों पर मांगी गई अग्रता अनुज्ञेय होगी और जिन लोगों ने वे आवेदन दिये हैं उनके हितों पर कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं रहेगी ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आस्ट्रेलिया-कामन्वैल्थ को अभिसमय-देश के रूप में 20 अप्रैल, 1972 से घोषित करने वाली इस अधिसूचना के जारी करने से किसी अन्य पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० एफ० 21(1)—एसपी एंड डी/72]
आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972